

अध्याय १०

द्वितीय विश्व-युद्ध और राष्ट्रीय आन्दोलन (Second World War and National Movement)

ब्रिटेन का प्रधानमन्त्री चर्चिल बहुत बड़ा लोह-पुरुष माना जाता था। लेकिन जब दूसरा विश्व-युद्ध प्रारम्भ हुआ और प्रारम्भ में धुरी राष्ट्रों की तूफानी विजय हुई, तो चर्चिल भी पिघलने लगा। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा—“जापानी सेना रंगून में प्रविष्ट हो गई है। मेरे सब मित्रों को यह महसूस हुआ कि यदि भारत की ठीक ढंग से रक्षा करनी है तो राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिये हर सम्भव तरीके से यत्न करना चाहिये।”

राष्ट्रीय आन्दोलन १९३४ से १९३६ तक

१९३४ में गांधीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन से सन्यास ले लिया था। वे अपने पुराने आश्रम में लौट गए और अब हरिजन कल्याण के काम में लग गए थे। देश के लिये यह काम भी बहुत जरूरी था।

इसी वर्ष कांग्रेस ने यह निर्णय भी लिया था कि वह व्यवस्थापिका सभाओं का निर्वाचन लड़ेगी। कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया और उसे आशातीत सफलता भी मिली। सात प्रान्तों में उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। स्वाभाविक था कि इससे कांग्रेसी नेता अपनी पीठ थपथपाते।

गांधीजी द्वारा राजनीति से सन्यास ले लेने से और कांग्रेसी नेताओं द्वारा व्यवस्थापिकाओं की कुर्सियाँ सुशोभित करने से अब यह सम्भव नहीं था कि राष्ट्रीय आन्दोलन तेजी से भभककर चल सके और फिर अभी-अभी तो एक लम्बी लड़ाई का निराशाजनक अन्त हुआ था। इसलिये १९३४ के बाद, आने वाले कुछ वर्षों तक राष्ट्रीय आन्दोलन के सागर में कोई तूफान नहीं आये। आकाश में कोई बिजलियाँ नहीं कड़कीं।

इसी वर्ष, यानी के १९३४ में ही एक खास बात और हुई। कांग्रेस के कुछ युवा सदस्यों ने कांग्रेस के अन्दर ही एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी बनाई।

जवाहरलाल नेहरू सदा समाजवादी रहें हैं। उन्होंने इस पार्टी को आशीर्वाद जरूर दिया, पर वे इसके सदस्य नहीं बने।

एक वर्ष पश्चात् शासन का अधिनियम पारित हुआ—१९३५ का अधिनियम। इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल प्रान्तीय स्तर पर स्वशासन दिया गया—वो भी पूरी तरह नहीं और केन्द्रीय स्तर पर—वही द्वैध शासन। कांग्रेस के नेताओं ने इसकी तीव्र आलोचना की। नेहरू ने तो इसे “गुलामी का घोषणा पत्र” कहा।

पर कांग्रेस में न तो जल्दी ही दूसरा आन्दोलन प्रारम्भ करने की हिम्मत थी और न ही इच्छा। इसलिये उसने यही उचित समझा कि नये अधिनियम के अन्तर्गत बनाई जाने वाली केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के चुनाव लड़े जाएँ। ऐसा ही किया। १९३७ में जब प्रान्तों की नई व्यवस्थापिकाएँ गठित हुईं तो पंजाब और बंगाल को छोड़कर सभी में कांग्रेस छा गई। कांग्रेस के नेता मंत्री और मुख्यमंत्री बने। अब भला राष्ट्रीय आन्दोलन की आवश्यकता ही क्या थी (?)।

यहाँ एक तथ्य का और उल्लेख कर दिया जाये। नहाँ तो उस महान् क्रान्तिकारी के साथ न्याय नहीं होगा। १९३७ में सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे गांधीजी के विशिष्ट अनुयायी नहीं थे और उग्र समाजवादी थे। अगले वर्ष जब फिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद का प्रश्न आया तो सुभाषचन्द्र बोस फिर चुनाव में खड़े हो गये। गांधीजी ने, जिन्होंने राजनीति से संन्यास ले रखा था, सुभाषचन्द्र बोस का विरोध किया। उन्होंने पट्टाभि सीतारम्मैया को चुनाव में खड़ा कर दिया, पर वे हार गये। इस पर गांधीजी ने कहा—“यह मेरी हार है।” परन्तु इसके बाद गांधीजी के चेलों ने सुभाषबाबू को इतना परेशान किया कि उनको कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे देना पड़ा। कांग्रेस फिर से ढीले-ढाले हाथों में आ गई और राष्ट्रीय आन्दोलन को अलमारियों में रख दिया गया।

अभी कांग्रेसी मंत्री-मंडलों का कारवाँ धीरे-धीरे चल ही रहा था कि यूरोप में युद्ध के नगाड़े बजने लगे।

द्वितीय विश्व-युद्ध का आरम्भ

आस्ट्रिया के पतन तथा चेकोस्लोवाकिया पर नाजी जर्मनी के बलात्कार से यूरोप के आकाश में युद्ध की काली घटाएँ मंडराने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि शीघ्र ही यूरोप के देश, एक महासमर में जुट जायेंगे और ऐसी अवस्था में ब्रिटेन फिर से भारत को भी युद्ध में घसीट लेगा।

युद्ध प्रारम्भ होने के कई मास पूर्व और बाद में युद्ध प्रारम्भ होने पर भी सुभाषचन्द्र बोस ने गांधीजी और नेहरू से कहा—भारत के लिये यह स्वर्ण अवसर है। ऐसी अवस्था में जबकि ब्रिटेन, यूरोप में युद्ध में व्यस्त रहेगा, उसे हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी। हम शासन से कह दें कि यह सहायता तभी मिलेगी, जब भारत को

आजाद कर दिया जाए। यदि वे हमें स्वतंत्रता नहीं देते, तो हम स्वयं स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये आन्दोलन प्रारम्भ कर दें। उन्होंने कहा—“इंग्लैंड के विनाश में ही हमारी स्वतंत्रता है।” परन्तु गांधीजी ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने कहा—“हम इंग्लैंड के विनाश पर अपना कल्याण करना नहीं चाहते।”

उधर १ सितम्बर १९३९ को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इससे ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया। पर शीघ्र ही नाजी सेनाएँ यूरोप के कई देशों को रौंदती हुई फ्रांस में फैलने लगी। इंग्लैंड के होश उड़ने लगे और भारत की अंग्रेज सरकार भी घबरा गई। अंग्रेजों को भारत की सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता थी। घबराये हुए भारत के वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने भारतीयों के नाम एक सन्देश में कहा—“मुझे विश्वास है कि भारत पशुवल के विरुद्ध मनुष्य की स्वाधीनता का पक्ष ग्रहण करेगा और ऐतिहासिक सभ्यता के नाते दुनिया के महान राष्ट्रों के बीच अपने स्थान के अनुरूप हिस्से को पूरा करेगा।”¹

कांग्रेस की नीति

भारत के वायसराय ने द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ होते ही भारत की जनता के नाम अपील की कि वह अंग्रेजों का साथ दे। वायसराय ने गांधीजी को वार्ता के लिये देहली निमंत्रित भी किया। वार्ता के पश्चात् गांधीजी ने एक वक्तव्य दिया—“स्वतंत्रता के प्रश्न पर भारत और ब्रिटेन में मतभेद होने पर भी हमें संकट के समय ब्रिटेन के साथ सहयोग करना चाहिये।”² यह एक चौंका देने वाला वक्तव्य था। क्या गांधीजी भूल गये थे कि प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान जब भारत ने ब्रिटेन के साथ सहयोग किया था, तो बदले में हमें क्या मिला था—रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग का नर-संहार? क्या गांधीजी उसी तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे, जिस तरह पचास वर्ष पूर्व भारत के उदारवादी नेताओं ने किया था।

नेहरूजी ने और भी गजब कर दिया था। युद्ध जब शुरू हुआ, नेहरू चीन में थे। भारत लौटते समय रंगून में एक पत्र के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा—“यह मोलभाव करने का समय नहीं है। हम जर्मनी, इटली और जापान के उभरते हुए

1. LINLITHGO—“I am confident that India will make her contribution on the side of human freedom as against the rule of force and will play a part worthy of her place among the great nations and the historic civilizations of the world.”

2. See—The Indian Struggle, P. 339—“In spite of the differences between India and Britain on the question on Indian Independence, India should co-operate with Britain in her hour of danger.”

साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं और यूरोप में साम्राज्यवाद के पतन के पक्ष में हैं।^१ तो क्या कांग्रेस युद्ध-काल में फिर से शासन का साथ देगा? क्या हाथ आया हुआ स्वर्ण अबसर फिर से खो देंगे?

सुभाषचन्द्र बोस ने भारत में घूम-घूम कर हजारों स्थानों पर लाखों की सभा में कहा—“ब्रिटेन पर संकट ही भारत का सौभाग्य है।” उन्होंने कहा—यही उचित समय है जब हम स्वतंत्रता छीन सकते हैं। नेहरू जब कलकत्ता उतरे तो हजारों आदमियों ने उनके विरुद्ध प्रदर्शन किया और कहा कि हम कठोर नीति चाहते हैं।^२ सुभाषचन्द्र बोस द्वारा चलाये गये कठोरता की नीति के पालन के अभियान का असर अवश्य हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों को बिना शर्त समर्थन देने के विचार त्याग दिये।

भारतीय जनता को और कांग्रेस के नेताओं को अंग्रेजों पर इस बात का भी बहुत रोष था कि युद्ध प्रारम्भ होते ही बिना भारत की जनता से पूछे शासन ने भारत को युद्ध में घकेल दिया। भारतीय सेनाएँ युद्ध में भेज दी गईं और भारत भी जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ने के लिये बाध्य कर दिया गया।

१० अक्टूबर १९३६ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस ने शानदार प्रस्ताव पास किया। भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के निर्णय की निंदा की गई। कहा गया कि शासन घोषित करे कि युद्ध के पश्चात् भारत को स्वतन्त्र कर दिया जायेगा। साथ ही यह भी बताया जाये कि ब्रिटेन के युद्ध-उद्देश्य क्या है? मौलाना आजाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया—“कांग्रेस घोषणा करती है कि वह पूर्ण स्वतंत्रता से कम और किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेगी।”

शासन की प्रतिक्रिया

क्योंकि कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके कहा था कि हमें पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाये—इसलिये अंग्रेज यह घोषणा कर देगा कि भारत को स्वतन्त्रता दी जाती है—ऐसा सोचना भी गलत होगा। हजारों मील दूर, संसार के सबसे कुटिल और सशक्त देश के लोग भारत पर शासन इसलिए नहीं कर रहे थे कि वे एक प्रस्ताव से घबराकर देश छोड़कर चल देंगे।

1. NEHRU—“This is not the time to bargain. We are against the rising imperialism of Germany, Italy and Japan and for the decaying imperialism of Yurope.”

2. DURGADAS—“When Nehru arrived in Calcutta, he was confronted with a demonstration organised by Bose displaying placards demanding firm action against Britain.”—India : from Curzon to Nehru and After. P. 192.

परन्तु इस समय उन्हें भारतीयों की सहायता और सहयोग की आवश्यकता थी और कांग्रेस उस सहायता तथा सहयोग के बदले में ऐसी माँगें प्रस्तुत कर रही थीं जो स्वेच्छा से वे कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। अतः शासन ने टाल-मटोल की ही नीति अपनाई।

लन्दन में लार्ड जैटलैंड ने कहा कि कांग्रेस गलत समय में हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। देहली में वायसराय ने दस साल पहले का आश्वासन दोहराते हुए कहा कि युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात् भारत को डोमिनियन स्वराज्य प्रदान किया जाएगा। यही आश्वासन तो लार्ड इरविन ने १९३० में दिया था और इस आश्वासन के बदले में भारत को १९३५ का अधिनियम दिया गया था।

वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने डोमिनियन स्वराज्य के आश्वासन के अतिरिक्त एक यह भी आश्वासन दिया कि युद्ध के दौरान सरकार एक परामर्शदात्री समूह को आमंत्रित करेगी, जिसमें चुने हुए भारतीय होंगे। परन्तु यह भी एक थोथा और बेकार का वायदा था और भारत का इससे कुछ भी भला नहीं होने वाला था।

जहाँ तक ब्रिटेन द्वारा युद्ध उद्देश्यों की घोषणा का प्रश्न था उससे भारत को क्या हमदर्दी हो सकती थी, यदि उसमें भारत के लिए स्वतंत्रता की बात न हो। वायसराय ने देशी राजाओं, मुस्लिम लीग तथा अन्य कुछ प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सामने कहा—“इंग्लैंड का लड़ाई में पड़ने का उद्देश्य कोई व्यक्तिगत लाभ उठाना नहीं, बल्कि संसार में एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था तथा चिरस्थायी शान्ति स्थापित करना है।”

मानो, जले पर नमक छिड़कने के लिए वायसराय महोदय ने यह भी कहा कि युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों से परामर्श करके १९३५ के अधिनियम में सुधार किया जा सकता है।

तो, युद्ध के पश्चात् ब्रिटानिया की सरकार भारत की सहायता और बलिदानों के बदले स्वतंत्रता नहीं, केवल सुधार ही देना चाहती थी।

कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों द्वारा त्याग-पत्र

वायसराय लार्ड लिनलिथगो के वक्तव्य से कांग्रेस क्षेत्र में भारी रोष फैल गया। यह कैसा विरोधाभास था कि एक ओर तो ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में इसलिये कूदा था कि जर्मनी एक साम्राज्यवादी देश था। ब्रिटेन का उद्देश्य एक ओर तो साम्राज्यवाद को रोकना था और दूसरी ओर वह भारत से अपने साम्राज्यवादी पंजे हटाने के लिये तैयार भी नहीं था।

कांग्रेस प्रथम विश्व-युद्ध की भूल को फिर से दोहराना नहीं चाहती थी। वह यह किस प्रकार भूल सकती थी कि प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान शासन ने कैसे लुभावने और मीठे वचन कांग्रेस को दिये थे, परन्तु युद्ध के पश्चात् वे सब वचन भुला दिए गए

थे। इसलिए कांग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक हमें "पूर्ण स्वतन्त्रता" नहीं दी जाएगी, तब तक हम युद्ध में शासन को सहयोग नहीं देंगे।

शासन भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिये तैयार नहीं था। यह केवल वायसराय के वक्तव्य से ही स्पष्ट नहीं था, बल्कि शासन के एक अन्य कदम से तो स्थिति और भी सन्देहजनक बन गई। युद्ध प्रारम्भ होने के कुछ ही मास पश्चात् शासन ने १९३५ का अधिनियम भी स्थगित कर दिया। जो थोड़ी बहुत शक्तियाँ भारतीयों के पास प्रान्तीय स्वराज्य के नाम पर थीं, वे भी छीन ली गईं। यूरोप में "प्रजातंत्र की रक्षा" के नाम पर युद्ध लड़ा जा रहा था और भारत में जो थोड़ा बहुत प्रजातंत्र था भी, उसकी भी हत्या की जा रही थी।

अतः २९ अक्टूबर को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने यह धमकी दी कि यदि बिना जनता के परामर्श के भारत को युद्ध में घसीटा जाता रहा तो कांग्रेस फिर से सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करेगी। कांग्रेस ने सभी प्रान्तों के मंत्रिमंडलों को आदेश दिया कि वे त्याग पत्र दे दें। परिणामस्वरूप आठों प्रान्तों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग-पत्र दे दिया।

मुस्लिम लीग द्वारा शासन की चरण-वन्दना

ऐसे समय में जबकि देश एक अत्यन्त नाजुक दौर से गुजर रहा था और कांग्रेस ने यह तय कर लिया था कि वह स्वतन्त्रता प्राप्ति किये बिना सरकार को सहयोग नहीं देंगे, भारत में कुछ लोग और दल भी थे जो अंग्रेजों की कदम-बोसी व चरण-वन्दना में अपना कल्याण समझते थे।

नेहरू ने एक बार कहा था—“भारत में दो ही पक्ष हैं—एक तो सरकार और दूसरी कांग्रेस।” इस पर जिन्ना ने उत्तर दिया था—“नहीं। भारत में चार पक्ष हैं—एक सरकार; दूसरा कांग्रेस; तीसरा देशी रियासतें और चौथा मुस्लिम लीग।”

यह चौथा पक्ष अब अंग्रेजों की चरण-वन्दना में लग गया था। युद्ध प्रारम्भ होने के अठारहवें दिन ही मुस्लिम लीग की कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि मुस्लिम लीग युद्ध में सरकार का साथ देगी, केवल शर्त यह है कि कांग्रेसी प्रान्तों में मुसलमानों के साथ न्याय किया जायेगा तथा भारत में नये सभी सांविधानिक परिवर्तन मुस्लिम लीग की सहमति के बिना नहीं किये जाएँगे। अंधे को क्या चाहिये—दो आँखें। वायसराय ने तुरन्त मुस्लिम लीग की शर्तें स्वीकार कर लीं और मुस्लिम लीग अंग्रेजों का हर प्रकार से साथ देने लगी।

जब आठ प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग-पत्र दिया तो मुस्लिम लीग की वही हालत हुई जो भाग्य से छींका टूटने पर बिल्ली की होती है। चुनाव में पिटी हुई फासिस्ट हिन्दुओं का शासन है और इस शासन में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार

किये गये हैं। यह सब झूठ था और केवल प्रचार मात्र था। तो भी, जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग-पत्र दिये उस दिन जिन्ना ने घोषणा की कि मुस्लिम लीग "मुक्ति दिवस" मनायेगी। अतः २२ दिसम्बर १९३९ के दिन मुस्लिम लीग ने 'मुक्ति दिवस' मनाया। संयोग से उस दिन शुक्रवार था। नब्बे प्रतिशत मुसलमान मुस्लिम लीग के अनुयायी थे।¹ इसलिये मस्जिदों में 'मुक्ति दिवस' मनाया गया।

कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडलों से त्याग-पत्र देना एक भूल ही थी। क्योंकि इससे प्रान्तों की सम्पूर्ण शक्तियाँ गवर्नर ने अपने हाथ में ले लीं और वह खुलकर अत्याचार करने लगे। मुस्लिम लीग उनके साथ थी और गवर्नरों को सहयोग दे रही थी। बी. पी. मेनन ने लिखा है—“लार्ड लिनलिथगो का रवैया बदल गया। अब वह जिन्ना की सहायता की तरफ अधिक से अधिक झुकने लगा। वास्तव में जिन्ना को भारत की संविधानिक प्रगति पर निषेध-अधिकार (वीटो) प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया।” क्योंकि वायसराय महोदय ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि भविष्य में ऐसी कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं की जाएगी जिसमें भारतीय जनसंख्या के एक बड़े वर्ग की उपेक्षा की गई हो।

अंग्रेजों द्वारा जिन्ना की और मुस्लिम लीग की पीठ थपथपाए जाने पर लीग के हौंसले बुलन्द हो गये। इसलिये जब अगस्त १९४० में लाहौर में लीग का अधिवेशन हुआ तो उसमें पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया। यह भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास का सबसे काला दिन था।

अगस्त प्रस्ताव (August Proposals)

यूरोप में परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही थीं। नार्वे, बेलजियम, डेनमार्क का तेजी से पतन हो गया था। डनकर्क में इंग्लैण्ड को मुँह की खानी पड़ी थी और उसकी फौजों को वापिस इंग्लैण्ड भाग जाना पड़ा था। पराजय की घटाएँ समस्त बरतानिया के आकाश में मंडरा रही थी। इंग्लैण्ड एक अत्यन्त जटिल आर्थिक दबाव और सैनिक तनाव अनुभव कर रहा था।

भारत में सुभाषचन्द्र बोस और उनके द्वारा स्थापित फारवर्ड ब्लाक ने तेजी से यह मांग करनी शुरू कर दी थी कि यही अवसर है जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ और उनके शासन के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष छेड़ देना चाहिए। परन्तु नेहरू और गांधीजी इसके खिलाफ थे। नेहरू ने कहा—ऐसे समय में जब कि ब्रिटेन जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, एक असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करना भारत

1. LEONARD MOSLEY—“Some thing over ninety percent of India's Muslims supported the Muslim League and its all powerful leader, Mohammad Ali Jinnah.”

के सम्मान को गिराने वाला कार्य होगा।”¹ इसी प्रकार गांधीजी ने भी कहा—‘हम ब्रिटेन की बरवादी द्वारा अपनी स्वतन्त्रता नहीं चाहते। यह अहिंसा का मार्ग नहीं है।’²

वास्तव में जर्मनी और ब्रिटेन की लड़ाई में भारत के अधिकांश नेताओं की सहानुभूति ब्रिटेन के साथ थी। कांग्रेस के नेता हृदय से चाहते थे कि वे शासन को सहयोग दें, परन्तु इसके लिये अपनी उचित मांगों से डिगने को तैयार नहीं थे। अतः ७ जुलाई १९४० को कांग्रेस ने पूना में एक प्रस्ताव पास करके कहा कि कांग्रेस दो शर्तों पर शासन से सहयोग करने के लिये तैयार है। पहली शर्त है कि युद्ध के बाद भारत को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया जाये और दूसरी यह कि केन्द्र में सब प्रमुख दलों को मिलाकर एक अन्तरिम सरकार बनाई जाये।

शासन अभी इन शर्तों का जवाब भी न दे पाया था कि इंग्लैण्ड में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। इंग्लैण्ड के घुटने टेक और शांतिवादी प्रधान मंत्री चेम्बरलेन का पतन हो गया। उसके स्थान पर विन्स्टन चर्चिल प्रधान मंत्री बना। चर्चिल कट्टर अनुदारवादी था। उसके साथ-साथ भारत मंत्री भी बदला। लार्ड जैटलैण्ड के स्थान पर एमरी भारत मंत्री बना।

इंग्लैण्ड में प्रधान मंत्री बदलने से समझौते की जो थोड़ी बहुत सम्भावनाएँ थी, वह भी जाती रही। यद्यपि चर्चिल ने अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट से अटलांटिक सागर में एक जहाज पर मिलकर युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा की थी। इस घोषणा को अटलांटिक चार्टर घोषणा कहते हैं। इसमें यह कहा गया था कि ब्रिटेन देशों के आत्म-निर्णय के सिद्धान्त में विश्वास रखता है। परन्तु दूसरे ही साँस में चर्चिल महोदय ने यह भी कह दिया कि अटलांटिक घोषणा भारत पर लागू नहीं होती। बल्कि चर्चिल महोदय ने साफ-साफ कहा—“मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन की अध्यक्षता करने के लिये प्रधान मंत्री नहीं बना हूँ।”³

यद्यपि चर्चिल एक कठोर प्रधानमंत्री थे, तथापि उन्हें भी युद्ध जीतने के लिए भारत की सहायता की आवश्यकता थी। कम से कम वे भारत की ओर से कोई परेशानी तो मोल लेने के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस मित्रता के लिए हाथ बढ़ा ही चुकी थी। अब तो शासन को उत्तर देना था।

1. NEHRU—“Launching a civil disobedience campaign at a time when Britain is engaged in a life and death struggle would be an act derogatory to India's honour.”

2. GANDHIJI—“We do not seek our independence out of Britain's ruin. That is not the way of non-violence.”

3. CHURCHILL—“I have not become His Majesty's First Minister to preside over the liquidation of British Empire.”

अगस्त घोषणा में मुसलमानों के लिए अलग राज्य की कोई गुन्जाइश नहीं रखी गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग यह भी चाहती थी कि वायसराय की कौंसिल में लीग को कांग्रेस के समान ही प्रतिनिधित्व मिले। हालांकि लीग कांग्रेस की तुलना में एक बहुत छोटी पार्टी थी।

तो भी, लीग एक बात से बहुत खुश थी। उसे 'वीटो' का अधिकार दिया गया था। यह नये भारत मंत्री लार्ड एमरी के आशीर्वाद से हुआ था। इससे जिन्ना ने स्वयं को विजित अनुभव किया। जब एक प्रतिष्ठित पत्रकार दुर्गादास जिन्ना से मिलने गए, तो जिन्ना ने आराम कुर्सी पर लेटे-लेटे मुस्कराते हुए कहा—“अब मुझे केवल यह करना है कि मैं कांग्रेस की नई चाल की प्रतीक्षा करूँ और उसका उत्तर दूँ। मुझे इसमें शक नहीं है कि नेहरू मेरे हाथों में खेलेगा।”¹

व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा

वायसराय लार्ड लिनलिथगो की अगस्त घोषणा से कांग्रेस की आशाओं पर तुषारपात हो गया। यह स्पष्ट हो गया कि शासन भारत को स्वतंत्रता देने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं है। अब सिवाय इसके, कांग्रेस के पास और कोई मार्ग ही नहीं रह गया था कि वह संघर्ष करे। कांग्रेस के कई नेता उग्र संघर्ष के पक्ष में थे। परन्तु गांधीजी कोई उग्र संघर्ष या किसी व्यापक जन आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे। अतः एक मध्य-मार्ग निकाला गया। १५ अगस्त, १९४० को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि कांग्रेस व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करेगा।

व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा, सार्वजनिक सविनय अवज्ञा से भिन्न था। इसमें एक-एक व्यक्ति शासन को पूर्व सूचना देकर कानून का उल्लंघन करता था और गिरफ्तार होता था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही चुने गए। उसके बाद नेहरू फिर अन्य नेता। एक-एक कर नेता बन्दी बनाये जाते रहे और शीघ्र ही यह आन्दोलन देशभर में फैल गया। लगभग पच्चीस हजार व्यक्ति बन्दी बनाये गये। सुभाष बाबू का कथन है कि आन्दोलन को जानबूझकर उग्र नहीं बनाया गया था, ताकि समझौते के द्वार खुले रहें। “परन्तु गांधीजी की अच्छाई को अंग्रेज भारतीयों की दुर्बलता समझते रहे और युद्ध में उनका खूब उपयोग करते रहे।”² इस पर भी मुस्लिम लीग को कांग्रेस

1. JINNAH—“All I have to do now is to wait for the next Congress move and to counter it. I have no doubt that Nehru will play into my hand.”—in Durga Das. *OP. Cit.* P. 196.

2. SUBHASH CHANDRA BOSE—“The Mahatma had calculated that by following a mild policy, he would ultimately open the doors towards a compromise. His goodness was mistaken for weakness and the British Government went on exploiting India for war purposes.”

का यह आन्दोलन पसन्द नहीं आया। पंजाब के मुख्य लीगी नेता ने कहा कि “कांग्रेस शासन की पीठ में छुरा भोंक रही है।” परन्तु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मुस्लिम लीग पहले ही अपने आप को शासन के कदमों पर न्यौछावर कर चुकी थी। वह चाहती थी कि कांग्रेस भी ऐसा करे।

अभी सविनय अवज्ञा आन्दोलन चल ही रहा था कि युद्ध के स्वरूप में और तेजी से परिवर्तन हो गये थे। जर्मनी ने अचानक सोवियत रूस पर सशक्त आक्रमण कर दिया। उधर जापान ने भी पर्थ हारबर पर आक्रमण करके अमरीका को चौंखला दिया। रूस और अमरीका युद्ध में कूद पड़े। यह जून १९४१ की बात है। अब युद्ध वास्तविक रूप से विश्व-युद्ध हो गया था।

जापान ने आश्चर्यजनक ढंग से विजय पर विजय प्राप्त की। कुछ ही सप्ताहों में उसने हिन्द-चीन, इण्डोनेशिया, मलाया और सिंगापुर पर अपने ध्वज फहरा दिये। बर्मा भी उसके अधिकार में आ गया। अभी जापान के जहाज बंगाल की खाड़ी में पहुंचे ही थे कि अंडमान और निकोबार का भी पतन हो गया।

एक और वजनदार घटना हुई थी। सुभाषचन्द्र बोस जो पिछले एक वर्ष से लापता थे, एक दिन अचानक बर्लिन रेडियो से उनकी आवाज सुनाई दी। उन्होंने आह्वान किया कि भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ मुक्ति आन्दोलन को तीव्र कर दें। इससे कई हिन्दुस्तानियों के हौसले बुलन्द हो गये। स्वयं गांधीजी बेहद प्रभावित हुए।

अंग्रेज अंधे नहीं थे। जापान हिन्दुस्तान के द्वार पर फौजी दस्तक दे रहा था। बरतानिया यह जानता था कि हिन्दुस्तानियों के पूर्ण सहयोग के बिना जापानी आक्रमण से भारत की रक्षा नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त अमरीका के राष्ट्रपति ने भी ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह कांग्रेस से कोई समझौता कर ले।

ब्रिटेन को थोड़ी नम्रता दिखानी पड़ी। अचानक दिसम्बर १९४१ में सभी राजनीतिक बन्दी छोड़ दिये गये। सुभाषचन्द्र बोस जैसे उग्रवादियों को छोड़कर सभी नेता रिहा कर दिए गए और शासन ने फिर से वार्ता के लिए द्वार खोल दिये। मौलाना आजाद ने लिखा है कि हम लोग पहली बार इस भावना से जेल से बाहर निकले मानों हम पर मेहरबानी की गई हों। गांधीजी ने साफ-साफ कहा—“ब्रिटिश सरकार की यह नीति मेरे हृदय का कोई तार नहीं छूती और सत्याग्रह उस समय तक चलता रहेगा, जब तक कांग्रेस कार्यकारिणी उसका स्थगन नहीं कर देती।”

परन्तु कांग्रेस की कार्यकारिणी को सत्याग्रह आन्दोलन को स्थगित करने में देर नहीं लगी। बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति का अधिवेशन हुआ और उसमें निर्णय लिया गया कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किया जाए।

आन्दोलन स्थगित कर दिया गया। भारत ने ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति दिखाई और अपना कर्तव्य निभाया। परन्तु ब्रिटेन ने अपना कर्तव्य निभाने के नाम पर भारत में एक मिशन भेजा—क्रिप्स मिशन।